

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ.1738 सीसी/स्वा.का.पु./2018/2626

दिनांक : 26/12/18

### संशोधित आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक एफ. 1738 सीसी/स्वा.का.पु./2018/2534 दिनांक 28.11.18 में श्रीमति रमा देवी पत्नि स्व. श्री चांदमल सैनी के स्थान पर श्रीमति रामा देवी पत्नि स्व. श्री चांदमल सैनी पढा जावे, आदेश का शेष भाग यथावत रहेगा।



(राकेश शर्मा)

अति० निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राज. जयपुर

दिनांक : 26/12/18

क्रमांक: एफ.1738 सीसी/स्वा.का.पु./2018/2626

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. उप शासन सचिव दित्त (नियम) विभाग राज. जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग राज. जयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन जयपुर।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-प्रथम।
7. संबंधित खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
8. संबंधित याचिकर्ता को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. प्रभारी सर्वर रूम, कमरा नं. 302, मुख्यालय, को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
10. आदेश/रक्षित पत्रावली।



अति० निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राज. जयपुर